संख्या–166 /XXXVI(3)/2017-59/ सामान्य/2015

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
उत्तराखण्ड,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक : 03 नवम्बर, 2017

विषय– महाधिवक्ता कार्यालय, नैनीताल के अधिष्ठान में कार्यरत वाहन चालक को रू0 900/– विशेष भत्ता तथा ग्रेड वेतन का 50 प्रतिशत विशेष प्रोत्साहन भत्ता अनुमन्य किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–265/महा.अधि./2017, दिनांक 12.07.2017 के क्रम मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–03/XXXVI(3)/2017-59/ सामान्य/2015, दिनांक 11.07.2017 को अधिक्रमित करते हुए महाधिवक्ता कार्यालय, उत्तराखण्ड के अधिष्ठान में नियमित रूप से नियुक्त वाहन चालक को ₹ 900/– प्रतिमाह विशेष भत्ता दिनांक 23.12.2010 से एवं उन्हें अनुमन्य ग्रेड वेतन का 50% विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिनांक 05.11.2014 से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त भत्ते इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि महाधिवक्ता कार्यालय, उत्तराखण्ड, के वाहन चालक को अनुमन्य अन्य समस्त भत्तों (मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता तथा धुलाई भत्ता को छोड़कर) की अधिकतम धनराशि राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहन चालको को अनुमन्य भत्तों से अधिक नहीं होगी।

3– उक्त पर होने वाला व्यय सुसंगत वित्तीय वर्ष के आय व्ययक के अनुदान सं0–04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–114–विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउसिंल)–03–महाधिवक्ता" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–167–मतदेय/XXVII(7)/2017, दिनांक : 02 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(आलोक कुमार वर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या–166 /(1)/XXXVI(3)/2017-59/ सामान्य/2015,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
3– वित्त अनुभाग–5/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र कौशिवा)
अपर सचिव